

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51 / 2019 प्रार्थना पत्र

प्राधिकृत अधिकारी - स्टेट बैंक
ऑफ इण्डिया शाखा औद्योगिक क्षेत्र
बिलियां जिला भीलवाड़ा

उनवान

बनाम 1. मैसर्स कॉरपोरेट फैशन प्राइवेट लि. डायरेक्टर -
श्री प्रतीक शर्मा पुत्र अरविन्द शर्मा एवं प्रकाश
जाट पुत्र स्व. शंकर लाल जाट निवासी -(1)
प्लॉट नं. ई 446 ए, रीको ग्रोथ सेन्टर ग्राम
स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ , (2) शॉप नं. 21,
प्रथम तल बादल मार्केट, पुर रोड जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

प्राधिकृत अधिकारी- श्री दीपेन्द्र कुमार

निर्णय

दिनांक : 25.10.2019

प्राधिकृत अधिकारी, श्री दीपेन्द्र कुमार स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा औद्योगिक क्षेत्र बिलियां जिला भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। जिसमें अप्रार्थी को 11,91,00,000/- रुपये का ऋण दिनांक 14.03.2018 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर चल सम्पत्ति - सभी प्रकार के प्लॉट, मशीनरी एवं स्टॉक, अचल सम्पत्ति - (1) गिरवीकृत सम्पत्ति औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि 22761 वर्ग मीटर, आराजी नं. 264 के कुल क्षेत्रफल 9.16 बीघा में से 9.00 बीघा , रूपान्तरित आराजी नं0 264/2 जो ग्राम कीरों की झोपडियां, तहसील हमीरगढ में स्थित है जो प्रकाश जाट पुत्र स्व. शंकर लाल जाट के नाम से है। (2) गिरवीकृत सम्पत्ति आराजी नं. 262/1 में से रूपान्तरित औद्योगिक भूमि जो ग्राम कीरों की झोपडियां तहसील हमीरगढ में स्थित है जो प्रकाश जाट पुत्र स्व. शंकर लाल जाट के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 22762.82 वर्ग मीटर है। (3) गिरवीकृत सम्पत्ति जो प्लॉट नं. 26 (विला नं. 03) आराजी नं. 2774, 2775, 3730/2729 अनुकम्पा रिट्रीट, गांधी नगर एरिया, एस.के. वाटिका के पीछे, जम्बेश्वर नगर, भीलवाड़ा में स्थित है जो मैसर्स कॉरपोरेट फैशन प्राइवेट लि. के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1225 वर्ग फीट है। (4) गिरवीकृत सम्पत्ति जो औद्योगिक प्लॉट नं. ई 446 ए, रीको औद्योगिक क्षेत्र ग्रोथ सेन्टर, ग्राम स्वरूपगंज तहसील हमीरगढ में स्थित है जो मैसर्स कॉरपोरेट फैशन प्राइवेट लि. के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर है, जो अप्रार्थी के स्वामित्व की है को रहन रखा गया। दिनांक 29.10.2018 तक कुल बकाया ऋण की राशि 11,02,55,776/- रुपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 31.10.2018 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:-

1. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ-पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार हमीरगढ को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २५.११.२०१९ को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



21/11/19
कलक्टर (राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा